

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक - 30/06/2016

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) के निम्नलिखित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को कॉलम-3 में दर्शाए गए स्थान से स्थानान्तरित करत हुए कॉलम-5 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।


क्र० सं०	नाम	वर्तमान पदस्थापन	गृह जिला	स्थानान्तरण के फलस्वरूप पदस्थापित अंचलों का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री सुजीत कुमार	धमदाहा पूर्णिया	नवादा	हिलसा, नालन्दा
2	श्री अरुण कुमार सिंह	दरौली, सीवान	मोतिहारी	लालगंज, वैशाली
3	श्रीमती कामिनी कुमारी	शेखपुरा	नालन्दा	मोकामा, पटना प्रतिनियुक्त श्रम कल्याण समिति, (मुख्यालय) पटना
4	श्री कृष्णा पासवान	नगरनौसा	पटना	जमुई सदर
5	श्रीमती रेणु कुमारी	बारसलीगंज, नवादा	पटना	मखदुमपुर, जहानाबाद

2. उक्त सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 07.07.2016 तक प्रत्येक दशा में अपने नये पदस्थापन स्थान पर अवश्य कार्यभार ग्रहण कर लें। कार्यभार छोड़ने/ग्रहण करने के लिए कदापि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा नहीं की जाय।

3. संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल विरमित कर दें। स्थानान्तरित अधिकारियों को विरमित नहीं किया जाना नियंत्री पदाधिकारी की अनुशासनहीनता मानी जायेगी। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 11.07.2016 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजें। स्थानान्तरित अधिकारियों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय।

4. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा नये पदस्थापन स्थान पर निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ कर दी जायेगी।


5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अभ्यावेदन पर किया गया है अतः उन्हें यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।


(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या :- 5/आर०एल०-40-35/12 (पार्ट) श्र०सं०.....2870 पटना, दिनांक 30-6-16

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।